(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002
Notification No. 13/2023-State Tax (Rate)

Dated: 22/08/2024

No. F.3 (06)/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/ 703 -In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the Government's Notification No.12/2017-State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(1.) after serial number 3A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3B	Chapter 99	Services provided to a Governmental Authority by way of - (a) water supply; (b) public health; (c) sanitation conservancy; (d) solid waste management;and (e) slum improvement and upgradation.	Nil	Nil";

(2.) against serial number 6, in column (3),in item (a), after the words "Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;

(3.) against serial number 7,in column (3), in the Explanation, in item (a), in sub-item(i), after the words "Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)"shall be inserted;

(4.) against serial number 8,in column (3)in the proviso, in item (i), after the words "Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;

(5.) against serial number 9,in column (3),in the first proviso, in item (i), after the words "Department of Posts", the words and brackets"and the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

Note: The principal notification no. 12/2017 - State Tax (Rate), was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated 30th June, 2017 and was last amended vide notification no. 07/2023 - State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (21)/Fin(Exp-I)/2023-24/DS-I/94, dated 30th Jan, 2024.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary(Exp.-I)

No. F.3 (06)/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/ 703

Dated: 22/08/2024

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Principal Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. The Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary (Exp.-I)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वित्त (व्यय–I) विभाग

दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या 13/2023–राज्य कर (दर)

दिनांक: 22/08/2024

सं.फा.3(06)/वित्त(व्यय– I)/2024–25/डीएस– I/ 703 : दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप–धारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त विभाग (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017–राज्य कर दर, जिसे सा. फा.3(15)/वित्त(व्यय–I)/2017–18/डीएस–VI/380, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार, खंड 3, उप–खंड (I) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:–

इस अधिसूचना में,तालिका में,–

(1) क्रम संख्या 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

1	2	3	4	5
"3ख	अध्याय 99	इन माध्यमों से किसी सरकारी प्राधिकरण को प्रदान की जाने वाली सेवाएं– (क) जलापूर्ति ; (ख) सार्वजनिक स्वास्थ्य ; (ग) स्वच्छता संरक्षण ; (घ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ; और (ङ) मलिन बस्ती सुधार और उन्नयन ।	शून्य	शून्य";

(2) क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम (3) में, खंड (क) में, शब्दों " डाक विभाग" के पश्चात्, शब्दों और कोष्ठक "[और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)]" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(3) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण में, खंड(क) में, उप खंड (i) में, शब्दों " डाक विभाग" के पश्चात्, शब्दों और कोष्ठक " [और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)] " को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(4) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, परंतुक में, खंड (i) में, शब्दों " डाक विभाग" के पश्चात्, शब्दों और कोष्ठक "[और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)]" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(5) कम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में, प्रथम परंतुक में, खंड (i) में, शब्दों " डाक विभाग" के पश्चात्, शब्दों और कोष्ठक "[और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)]" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर 2023 से लागू होगी।

नोटः मूल अधिसूचना संख्या 12/2017 राज्य कर दर को दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग IV धारा 3, उपधारा (i) में, जिसे सा.फा.3(15)/वित्त(व्यय– I)/2017–18/डीएस–VI/380, दिनांक 30 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 07/2023–राज्य कर (दर), दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग IV धारा 3, उपधारा (i) में, जिसे सा.फा.3(21)/ वित्त(व्यय– I)/2023–24/डीएस–I/94, दिनांक 30 जनवरी, 2024 के द्वारा संशोधन किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव (व्यय– I)

सं.फा.3(06)/वित्त(व्यय–I)/2024–25/डीएस–I/ 703

दिनांक: 22/04/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4 प्रधान आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
11 वेब साईट।
12 गार्ड फाइल।

(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव (व्यय– I)